तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
14/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरैजात का जवाब पेश नहीं कर बहस की गई। वास्ते आदेश दिनांक 27.10.25 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी 27.10.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरैजात खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किए जाकर बाटीवाद अंतिम डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 27/10/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा।

मु.न. 49/2024
दायर दिनांक 05.04.2024
निर्णय दिनांक 27.10.2025

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र नानगा
2. रंगलाल पुत्र नानगा
3. गंगा पत्नी नानगा

जातियान माली
निवासी ग्राम धांधोलाई
तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

–वादी

बनाम

1. पवन पुत्र हीरालाल
2. संतरा पत्नी हीरलाल
3. बत्तो देवी पत्नी खिलारी
4. रघुवीर पुत्र खिलारी
5. रामकेश पुत्र खिलारी
6. विजय पुत्र खिलारी

जातियान माली
निवासी ग्राम धांधोलाई
तहसील बांदीकुई
जिला दौसा।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

– प्रतिवादीगण

दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जर्ये वकील श्री नवीन कुमार गुर्जर एडवोकेट द्वारा दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में पेश हुआ जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः– भूमि काश्त खाता संख्या नया 85 पुराना 80 के आराजी खसरा नं. 686 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नं. 694 रकबा 0.67 हैक्टेयर चाही 1 जाव 1, खसरा नं. 695 रकबा 0.05 हैक्टेयर गै. मु. चाह, खसरा नं. 696 रकबा 0.68 हैक्टेयर चाही 1 जाव 1 कुल किता 04 कुल रकबा 1.47 हैक्टेयर वाके रामा धांधोलाई पटवार हल्का बडियाल कलां तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है। जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 संलग्न वाद पत्र है। भूमी वादग्रस्त खाता सं. नया 85 पुराना 80 के आराजी खसरा नं. 686 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नं. 694 रकबा 0.67 हैक्टेयर चाही 1 जाव 1, खसरा नं. 695 रकबा 0.05 हैक्टेयर गै. मु. चाह, खसरा नं. 696 रकबा 0.68 हैक्टेयर चाही 1 जाव 1 कुल किता 04 कुल रकबा 1.47 हैक्टेयर वाके रामा धांधोलाई पटवार हल्का बडियाल कलां तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित में वादीगण की मौके पर बनी हुई रिहायश तथा रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरस – नरस एवं वादीगण के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को एकजई करते हुए विधिवत तकास्मा किया जावे तथा अलग–अलग खाता पर्चा कामय किया जाकर अलग–अलग लगान का निर्धारण किया जावे। यह है कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से इक कदर पाबन्द किया जावे। वादवादी दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई प्रतिवादी सं. 1 लगा. 6 की ओर से श्यामसुंदर अग्रवाल एडवोकेट द्वारा वकालत नामा पेश किया गया। प्रकरण में दिनांक 10.03.2025 को प्राथमिक डिक्री की जाकर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला ...

सील बांदीकुई को कुर्रेजात भिजवाने हेतु निर्देश दिए गए। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा के पत्रांक 7046 दिनांक 21.07.2025 के द्वारा न्यायालय में कुर्रेजात न्यायालय में जवाये गये। जिसपर प्राप्त कुर्रेजात पर प्रतिवादी गण की ओर से निम्न प्रकार आपत्ति श की गयी। प्रतिवादीगण का कथन है कि उपरोक्त उनवानी वाद में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसील बांदीकुई से उक्त विवादित भूमि के कुर्रेजात बनाए जाकर व कब्जे के आधार व सरस–नरस अनुसार किए जाने के आदेश फरमाए जिसमें कि तहसीलदार बांदीकुई की टीम द्वारा बिना प्रतिवादीगण को लिखित में सूचना दिए तथा बिना प्रतिवादीगण को मौजूदगी में, बिना हस्ताक्षर कराए वादीगण के बताए अनुसार गलत ढंग से कूर्रेजात बनाए वादीगण के बताए अनुसार गलत ढंग से कुर्रेजात बनाए गये जबकि प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे के साथ नक्शा नजरी प्रस्तुत किया है जिसमें कि कब्जा बताया गया है, लेकिन तहसीलदार बांदीकुई की टीम द्वारा गलत ढंग से बिना प्रतिवादीगण की सहमति के कुर्रेजात बनाए है जो कि बिल्कुल गलत है, इसलिए पुनः कुर्रेजात प्रतिवादीगण की मौजूदगी में कुर्रेजात बनाए जाने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित एवं लाजमी है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दिनांक 26.05.2025 को तहसीलदार बांदीकुई टीम द्वारा बनाए गए कुर्रेजात को निरस्त कर पुनः कुर्रेजात बनाने हेतु प्रतिवादीगण की उपस्थिति में आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण में आपत्ति कुर्रेजात का जवाब वादीगण की ओर से पेश नहीं कर बहस की गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा प्राप्त कुर्रेजात को नियमानुसार होना बताया गया तथा कुर्रेजात स्वीकार करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात को दोहराते हुए तर्क किया है कि प्रकरण में पुनः टीम गठित कर कुर्रेजात बनवाया जाये। प्रकरण में प्राप्त कुर्रेजात तहसीलदार द्वारा गलत ढंग से तैयार कर भिजवाये गये है जिन्हें खारिज कर पुनः कुर्रेजात बनवाये जावें। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 7046 दिनांक 21.07.2025 के द्वारा प्राप्त कुर्रेजात का अवलोकन किया गया। प्राप्त कुर्रेजात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अनुसार एवं तहसीलदार बांदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरैजात खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुर्रेजात स्वीकार किये जाकर वादी वाद अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुर्रेजात अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है–

क्र. सं.	प्रस्तावित प्रविष्टि नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान
1.	गंगा पत्नि नानगा, बाबूलाल, रंगलाल पि. नानगा हि.– पूर्ण स. भाग जाति माली सा.देह	694/मि.	0.3200	जाव.I 0.26 चाहीI 0.06	2.46
		695	0.0500	गै.मु. चाह	....
		696/मि.	0.3300	चाही–I 0.33	13.53
		कि. 3	0.70		21.32

४५६–

2	पवन पुत्र हीरालाल, सन्तरा पत्नि हीरालाल हि. 1/5 स. भाग बत्तो देवी पत्नि खिलारी रघुवीर, रामकेश, विजय पि. खिलारी हि. 4/5 स. भाग जाति माली सा. देह	696/मि.	0.35	चाही–I 0.08 जाव–I 0.27	3.28 5.54
		कि. 1	0.3500		8.82
3.	कमला देवी पत्नि रत्तीराम हि. 601/3500, पवन पुत्र हीरालाल, सन्तरा पत्नि हीरालाल हि. 1/5 स. भाग बत्तोदेवी पत्नि खिलारी हि. 99/3500 रघुवीर, रामकेश, विजय पि. खिलारी हि. 3/5 स. भाग जाति माली सा. देह खातेदार	694/मि.	0.3500	चाही– I	14.35
		कि. 1	0.3500		14.35
4.	खाता संख्या 85 के काश्तकार व हिस्से अनुसार शामलाती	686	0.07	चाही– I	2.87

कुर्रेजात निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे, साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करे। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांकः 27.10.2025 को लिखा व सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

27/10/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner